# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3550 पन्ना,दिनांक 26-8-16

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

**विषय :–** मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513/08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में।

**संदर्भ :–** 1.आपका पत्र क्र0/1506/कार्य पन्ना दिनांक 27.05.2016
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि0/3253 दिनांक 29.07.2016

–––––00–––––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से लेख किया गया था कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513/08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने में की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकार राशि रूपये 10,000/–(दस हजार) वनमंडलाधिकारी उत्तर के पक्ष में जमा करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके। किन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नही होने के कारण वन अपराध प्रकरण का निराकरण नही हो सका है ।

अतः आपको पुनः लेख कर अवगत कराया जाता है कि उत्खनित वन क्षेत्र को शीघ्र मूलस्वरूप में लाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके ।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3551 पन्ना,दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही के दौरान अधिनस्थ कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये वनभूमि मूल स्वरूप में हो जाने की पुष्टि करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

Dasctop:/Latter 2016

414

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3253 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

**विषय :–** मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में।

**संदर्भ :–** आपका पत्र क्र0 / 1506 / कार्य पन्ना दिनांक 27.05.2016

–––––00–––––

विषयांतर्गत लेख है कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने का मूल्यांकन उपयंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि मूल स्वरूप में वनभूमि को लाने पर होने वाली व्यय राशि 53900.00 रूपये में उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में आपके विभाग द्वारा ले आया जायेगा तथा वन अपराध के निराकरण हेतु अधिरोपित मुआवजा पृथक से जमा किया जावेगा।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आप उत्खनि क्षेत्र को शीघ्र मूल स्वरूप में लाने का कष्ट करें व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकार राशि रूपये 10,000 / –(दस हजार) वनमंडलाधिकारी उत्तर के पक्ष में जमा करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3254 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही के दौरान अधिनस्थ कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये वनभूमि मूल स्वरूप में हो जाने की पुष्टि करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

Dasctop:/Latter 2016

# कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
## सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

भोपाल, दिनांक 23/6/16

क्रमांक / वन अपराध / 3072

प्रति,

वन मंड़लाधिकारी,
उत्तर वनमंड़ल पन्ना,
मध्यप्रदेश

**विषयः–** मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदाय किये जाने बाबत ।

**संदर्भः–** आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2016 / 993 दि. 28–5–2016.

---

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये । मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में भा.व.अ. 1917 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने वाले व्यय की राशि 53900 / – भा.व.अ. 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकर रू. 10,000 / – की राशि निर्धारित कर वन अपराध प्रकरण का निराकरण का मार्गदर्शन चाहा गया था । प्रेषित प्रस्ताव पर इस कार्यालय की सहमति व्यक्त की जाती है ।

(मनोज कुमार अग्रवाल )
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

DM

भोपाल, दिनांक 23/6/16

क्रमांक / वन अपराध / 3073

प्रतिलिपिः–

मुख्य वन संरक्षक छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

DFO

(मनोज कुमार अग्रवाल )
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी उ.व.म. पन्ना (सा.)
आ. 1084
दि. 23.7.16

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3550 पन्ना, दिनांक 26-8-16

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

विषय :– मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में।

संदर्भ :– 1.आपका पत्र क्र0 / 1506 / कार्य पन्ना दिनांक 27.05.2016
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / माचि0 / 3253 दिनांक 29.07.2016

-----00-----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से लेख किया गया था कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने में की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकार राशि रूपये 10,000 / –(दस हजार) वनमंडलाधिकारी उत्तर के पक्ष में जमा करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके। किन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नही होने के कारण वन अपराध प्रकरण का निराकरण नही हो सका है ।

अतः आपको पुनः लेख कर अवगत कराया जाता है कि उत्खनित वन क्षेत्र को शीघ्र मूलस्वरूप में लाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके ।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3551 पन्ना, दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही के दौरान अधिनस्थ कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये वनभूमि मूल स्वरूप में हो जाने की पुष्टि करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

Dasctop:/Latter 2016

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3253 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

**विषय :–** मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में।

**संदर्भ :–** आपका पत्र क्र0 / 1506 / कार्य पन्ना दिनांक 27.05.2016

––––00––––

विषयांतर्गत लेख है कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने का मूल्यांकन उपयंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि मूल स्वरूप में वनभूमि को लाने पर होने वाली व्यय राशि 53900.00 रूपये में उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में आपके विभाग द्वारा ले आया जायेगा तथा वन अपराध के निराकरण हेतु अधिरोपित मुआवजा पृथक से जमा किया जावेगा।

अतः आपको अवगत कराया जाता है कि आप उत्खनि क्षेत्र को शीघ्र मूल स्वरूप में लाने का कष्ट करें व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकार राशि रूपये 10,000 / –(दस हजार) वनमंडलाधिकारी उत्तर के पक्ष में जमा करें, ताकि वन अपराध प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3254 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वनमंडलाधिकारी विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि उत्खनि वनक्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही के दौरान अधिनस्थ कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये वनभूमि मूल स्वरूप में हो जाने की पुष्टि करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

Dasctop:/Latter 2016

# कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
## सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

भोपाल, दिनांक 23/6/16

क्रमांक / वन अपराध / 3072

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,
उत्तर वनमंडल पन्ना,
मध्यप्रदेश

**विषयः–** मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण कमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदाय किये जाने बाबत ।

**संदर्भः–** आपका पत्र कमांक / मा.चि. / 2016 / 993 दि. 28–5–2016.

---

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये । मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण कमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में भा.व.अ. 1917 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने वाले व्यय की राशि 53900 / – भा.व.अ. 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकर रू. 10,000 / – की राशि निर्धारित कर वन अपराध प्रकरण का निराकरण का मार्गदर्शन चाहा गया था । प्रेषित प्रस्ताव पर इस कार्यालय की सहमति व्यक्त की जाती है ।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

DM

भोपाल, दिनांक 23/6/16

DFO

क्रमांक / वन अपराध / 3073

प्रतिलिपिः–
मुख्य वन संरक्षक छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी उ.व.म. पन्ना (सा.)
आ. 1084
दि. 23-7-16

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

भोपाल, दिनांक 23/6/16

क्रमांक / वन अपराध / 3072

प्रति,

वन मंड़लाधिकारी,
उत्तर वनमंड़ल पन्ना,
मध्यप्रदेश

**विषयः–** **मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण कमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदाय किये जाने बाबत ।**

**संदर्भः–** **आपका पत्र कमांक / मा.चि. / 2016 / 993 दि. 28–5–2016.**

---

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये । मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि कक्ष क. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण कमांक / 1513 / 8 दि. 9–7–2015 के संबंध में भा.व.अ. 1917 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने वाले व्यय की राशि 53900 / – भा.व.अ. 1927 की धारा 79 के तहत प्रतिकर रू. 10,000 / – की राशि निर्धारित कर वन अपराध प्रकरण का निराकरण का मार्गदर्शन चाहा गया था । प्रेषित प्रस्ताव पर इस कार्यालय की सहमति व्यक्त की जाती है ।

(मनोज कुमार अग्रवाल )
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

DM

DFO

भोपाल, दिनांक 23/6/16

क्रमांक / वन अपराध / 3073

प्रतिलिपिः–

मुख्य वन संरक्षक छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मनोज कुमार अग्रवाल )
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
आ. 1084
दि. 23.7.16
पन्ना (सा.) व.म.

# कार्यालय वन वृत्त छतरपुर (म.प्र.)
पुराना बिजावर नाका, सागर रोड, छतरपुर 471001
☎ 07682-242107 (O.), 242107 (Fax) E-mail: cfchhatarpur@mpforest.org, cfc

छतरपुर, दिनांक/ 9-6-2016

क्रमांक/मा.चि./2016/ 913

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
सतपुडा भवन,भोपाल म.प्र.

विषय :– मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1513/8 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदाय किये जाने बावत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/वन अपराध/2016/2832 दिनांक 07.06.2016।

——0——

विषयांतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1513/8 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल पन्ना द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुई वन भूमि का मूल स्वरुप में लाने तथा भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 79 के अनुरुप प्रतिकार की राशि निर्धारित कर वन अपराध प्रकरण के निराकरण हेतु उल्लेखित प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ चूंकि प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधिरोपित मुआवजा देने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

sd/- 09/06/15
मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर

DM
DFO
आ.क्र. 966
14/6/16

छतरपुर, दिनांक/ 9-6-2016

क्रमांक/मा.चि./2016/ 914

प्रतिलिपि– वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्तर पन्ना को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2016/993 दिनांक 28.05.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

sd/- 09/06/15
मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर

ई–मेल : ajaygarhro@rediffmail.com
फोन नं. – 07730-278717

# कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र–अजयगढ़

क्रमांक / 496 अजयगढ़, दिनांक / 27/5/16

प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय

उत्तर वनमंडल पन्ना

विषय :– वन अपराध प्रकरण कमांक–1513 / 08 दिनांक–09.07.2015,

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक / मा0चि0 / 2016 / 2174 / पन्ना दिनांक–18.05.2016

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है, कि दिनांक–27.05.2016, को उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड अजयगढ़ उप संभाग पन्ना से उत्खनित वनक्षेत्र को मूलस्वरूप में लाने में व्यय होने वाली राशि का मूल्याकंन कराकर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– मूल्यांकन पत्रक।

(एस.एस.चौहान)
वन परिक्षेत्राधिकारी
अजयगढ़

कार्यालय उपवनमण्डल अधिकारी, विश्रामगंज

29.5.16

मूलत: वनमण्डल उत्तर पन्ना की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि उपयंत्री लो. नि. वि. उपखण्ड अजयगढ़ उपसंभाग पन्ना द्वारा उत्खनित वन क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने में व्यय होने वाली राशि का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पन्ना द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी गई है कि उत्खनित वन क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने का कार्य उनके द्वारा करा दिया जायेगा। अत: वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1513/08 दिनांक 09.7.15 के निराकरण हेतु नियमानुसार मावजा अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

मावजा राशि – ₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र)

जल संसाधन विभाग द्वारा उत्खनित क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने तथा मावजा राशि अधोहस्ताक्षर जमा करने के उपरान्त वन अपराध प्रकरण अनुसंधानित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपवनमण्डल अधिकारी
विश्रामगंज

ई–मेल : ajaygarhro@rediffmail.com
फोन नं. – 07730-278717

# कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र–अजयगढ़

क्रमांक / 496 अजयगढ़, दिनांक / 27/5/16

प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय

उत्तर वनमंडल पन्ना

विषय :– वन अपराध प्रकरण कमांक–1513 / 08 दिनांक–09.07.2015.

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक / मा0चि0 / 2016 / 2174 / पन्ना दिनांक–18.05.2016

–––––000–––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है, कि दिनांक–27.05.2016, को उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड अजयगढ़ उप संभाग पन्ना से उत्खनित वनक्षेत्र को मूलस्वरूप में लाने में व्यय होने वाली राशि का मूल्यांकन कराकर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– मूल्यांकन पत्रक।

(एस.एस. चौहान)
वन परिक्षेत्राधिकारी
अजयगढ़

कार्यालय उप वन मण्डल अधिकारी, विश्रामगंज

क्र. दि. 29.5.16

मूलतः वनमण्डल उत्तर पन्ना की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपयंत्री लो.नि.वि. उपखण्ड अजयगढ़ उपसंभाग पन्ना द्वारा उत्खनित वन क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने में व्यय होने वाली राशि का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पन्ना द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी गई है कि उत्खनित वन क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने का कार्य उनके द्वारा करा दिया जायेगा। अतः वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1513/08 दिनांक 09.7.15 के निराकरण हेतु नियमानुसार मावजा अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

मावजा राशि – ₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र)

जल संसाधन विभाग द्वारा उत्खनित क्षेत्र को मूल स्वरूप में लाने तथा मावजा राशि अधोहस्ताक्षर जमा करने के उपरांत वन अपराध प्रकरण अभिसंधानित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उप वन मण्डल अधिकारी
विश्रामगंज

Valuation for filling Pit of Compartment No P. 188

(1) Criteria 3.4

Excavation/ filling in soil using hydraulic excavator / Tipper - upto 1000 m lead.

98.0 x 10.0 x 1.0 = 980.0 $m^3$ @ 55=00/$m^3$ Rs 53900=00

Total Rs 53900=00

(Rupees fifty three thousand Nine Hundred only)

Sd/- 27/5/2016

उपयंत्री
लोक निर्माण विभाग
उपखण्ड अजयगढ़
उपसंभाग पन्ना (म.प्र.)

PWD

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना

पन्ना, दिनांक 27/5/16

क्रमांक / 2016 / 1506 / कार्य

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना

विषय :— वन अपराध प्रकरण क्र0 1513/08 दिनांक 09.07.2015।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि मझगांय डेम से संबंधित विषयांकित वन अपराध प्रकरण के निराकरण हेतु उत्खनित वनक्षेत्र कक्ष क्र0 पी0—188 को मूलस्वरुप में लाने में व्यय होने वाली राशि का मूल्यांकन उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड अजयगढ उपसंभाग पन्ना द्वारा किया गया। प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रुपये 53900/— में उत्खनित वनक्षेत्र को मूल स्वरुप में इस विभाग द्वारा ले आया जायेगा। वन अपराध के निराकरण हेतु अधिरोपित मुआवजा पृथक से वन विभाग में जमा किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
पन्ना

Da

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3269 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष–भू प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0

विषय :– पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– 1. आपका पृ0क्र0 / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 817 भोपाल दिनांक 13.04.2016
2. आपका पृ0क्र0 / एफ–3 / 45 / 2014 / 10–11 / 5 / 1581 भोपाल दिनांक 21.07.2016

-----00-----

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्र0–1 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु आवेदक संस्थान को कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 1678 दिनांक 25.04.2016 एवं पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2705 दिनांक 20.06.2016 द्वारा बिन्दुवार पूर्ति करने हेतु लेख किया गया था। किन्तु आज दिनांक तक प्रस्ताव की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा नही किये जाने के कारण प्रस्ताव प्रेषित नही किया जा सका है। आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ति किये जाने पर तत्काल प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 3270 पन्ना, दिनांक 29/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि वरिष्ठ से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव में शीघ्र पूर्ति करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव ऑन लाईन एवं हार्ड कापी में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

O/C

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 2705 पन्ना, दिनांक 20-6-16

प्रति,

**कार्यपालन यंत्री**
**जल संसाधन संभाग पन्ना म0प्र0**

**विषय :–** **मझगांय सिंचाई परियोजना के निर्माण में उपयोग हो रही भूमि आवंटन की प्रति उपलब्ध कराने बावत्।**

**संदर्भ :–**
1. इस कार्यालय का पत्र क्र0 / मा0चि0 / 1678 दिनांक 25.04.2016
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पृ0क्र0 / 817 दिनांक 13.04.2016
3. आपका पत्र क्र0 / 1506 / कार्य दिनांक 27.05.2016

-----00-----

विषयांतर्गत लेख है कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया गया था, जिसमें पाई गई कमियों / त्रुटियों की पूर्ति हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे। जिसके संदर्भ में प्रभावित क्षेत्र के संबंध में दर्ज वन अपराध प्रकरण के निराकरण हेतु भी निर्देश प्राप्त हुये है, जिसपर हानि की राशि का विवरण तैयार कर आपकी सहमति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया गया था। जिसके निराकरण हेतु योजना में प्रभावित हो रही भूमि आवंटन संबंधी ऑडर की प्रति वरिष्ठ द्वारा प्रेषित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। अतः उपरोक्त योजना में प्रभावित भूमि के आवटंन ऑडर की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि दर्ज वन अपराध प्रकरण के निराकरण हेतु वरिष्ठ की ओर प्राप्त निर्देशानुसार प्रेषित किया जा सके।

**वन मंडलाधिकारी**
**उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)**

O/C

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 1678 पन्ना,दिनांक 25/4/16

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना

**विषय :–** पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांय मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

**संदर्भ :–** मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर का पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2016 / 1296 छतरपुर दिनांक 18.04.2016

---

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया गया था। जिसके संदर्भ में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निम्नानुसार कमियों की बिन्दुवार पूर्ति हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।

**बिन्दु क्र0–1** प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्र0–बी–2.4 में आवेदित वनभूमि का Component Wise breakup नही दिया गया है, जिसकी पूर्ति ऑनलाईन / ऑफलाईन की जानी है। अतः Component Wise breakup तैयार कर 03 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

**बिन्दु क्र0–2** आवेदित वनभूमि की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से दूरी 10 कि0मी0, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के केन घड़ियाल अभ्यारण से 4.50 कि0मी0 एवं गंगऊ अभ्यारण से 8.00 कि0मी0 दूरी है। चूंकि परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्रों की दूरी 10 कि0मी0 से कम होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता है। अतः आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 का अभिमत प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

**बिन्दु क्र0–3** वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण 1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा की जाने वाली आगामी कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट अभिमत, अभिलेख सहित जानकारी चाही गई है।

आपके द्वारा अधिकृत कार्य एजेंसी द्वारा परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्र0पी–188 जो वनखण्ड उदयपुर के अन्तर्गत अधिसूचना क्र0 / 11000–3046–दस भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर 1967 राजपत्र प्रकाशन दि0 26 जनवरी 1968 से संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित है। अतः उपरोक्त वनक्षेत्र में भारत शासन से अंतिम औपचारिक स्वीकृति के पूर्व गैर वानिकी कार्य किये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्र. / 1513 / 08 दि. 09.07.2015 दर्ज किया गया था। जिसके संबंध में आप उपरोक्त प्रकरण में किये गये गैर वानिकी

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029


क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 1678 पन्ना,दिनांक 25/4/16

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना

विषय :– पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांय मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर का पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2016 / 1296 छतरपुर दिनांक 18.04.2016

---

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया गया था। जिसके संदर्भ में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निम्नानुसार कमियों की बिन्दुवार पूर्ति हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।

**बिन्दु क्र0–1** प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्र0–बी–2.4 में आवेदित वनभूमि का Component Wise breakup नही दिया गया है, जिसकी पूर्ति ऑनलाईन / ऑफलाईन की जानी है। अतः Component Wise breakup तैयार कर 03 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

**बिन्दु क्र0–2** आवेदित वनभूमि की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से दूरी 10 कि0मी0, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के केन घड़ियाल अभ्यारण से 4.50 कि0मी0 एवं गंगऊ अभ्यारण से 8.00 कि0मी0 दूरी है। चूंकि परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्रों की दूरी 10 कि0मी0 से कम होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता है। अतः आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 का अभिमत प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

**बिन्दु क्र0–3** वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण 1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा की जाने वाली आगामी कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट अभिमत, अभिलेख सहित जानकारी चाही गई है।

आपके द्वारा अधिकृत कार्य एजेंसी द्वारा परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्र0पी–188 जो वनखण्ड उदयपुर के अन्तर्गत अधिसूचना क्र0 / 11000–3046–दस भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर 1967 राजपत्र प्रकाशन दि0 26 जनवरी 1968 से संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित है। अतः उपरोक्त वनक्षेत्र में भारत शासन से अंतिम औपचारिक स्वीकृति के पूर्व गैर वानिकी कार्य किये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्र. / 1513 / 08 दि. 09.07.2015 दर्ज किया गया था। जिसके संबंध में आप उपरोक्त प्रकरण में किये गये गैर वानिकी

कार्य/अवैध उत्खनन से हुई हानि की राशि रूपये 1161300.00 (ग्यारह लाख इकसठ हजार तीन सौ मात्र) शासन पक्ष में जमा करावें, ताकि दर्ज वन अपराध प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जा सके।

**वन अपराध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रस्तावित योजना के संबंध में वरिष्ठ द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित किया जाना संभव नही है।** अतः आप गैर वनिकी कार्य के दौरान हुई हानि की राशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि वरिष्ठ को बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

**वन मंडलाधिकारी**
**उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)**

पृ0क्रमांक/मा0चि0/2016/1679 पन्ना, दिनांक 25/4/16
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सम्प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर (1250) भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग विश्वरमैया भवन, कोलार तिराहे स्थित वन विभाग के रेस्ट हाऊस के पास एम.ए.सी.टी. रोड भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
6. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

**वन मंडलाधिकारी**
**उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)**